राज्य स्तर विशेषज्ञ अंकन समिति, छत्तीसगढ़
भारत सरकार
पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

पर्यावास भवन, सेक्टर–19, नवा रायपुर अटल नगर, जिला–रायपुर (छ.ग.)

ई–मेल : seaccg@gmail.com

विषयः– **राज्य स्तर विशेषज्ञ अंकन समिति (एस.ई.ए.सी.–3), छत्तीसगढ़ की दिनांक 26/02/2026 को संपन्न 756वीं बैठक का कार्यवाही विवरण**

——00——

राज्य स्तर विशेषज्ञ अंकन समिति (एस.ई.ए.सी.–3), छत्तीसगढ़ की दिनांक 26/02/2026 को श्री जयसिंह म्हस्के, अध्यक्ष, राज्य स्तर विशेषज्ञ अंकन समिति की अध्यक्षता में संपन्न हुई। बैठक में समिति के निम्नलिखित सदस्यों ने भाग लियाः–

1. डॉ. विकास कुमार जैन, सदस्य, राज्य स्तर विशेषज्ञ अंकन समिति
2. श्री रमाशंकर मिश्रा, सदस्य, राज्य स्तर विशेषज्ञ अंकन समिति
3. डॉ. अजय विक्रम अहिरवार, सदस्य, राज्य स्तर विशेषज्ञ अंकन समिति
4. श्री समीर स्वरूप, सदस्य, राज्य स्तर विशेषज्ञ अंकन समिति
5. श्री राजू अगसीमनी, सदस्य सचिव, राज्य स्तर विशेषज्ञ अंकन समिति

समिति द्वारा एजेण्डा में सम्मिलित विषयों पर निम्नानुसार विचार किया गयाः–

एजेन्डा आयटम क्रमांक–1: **परियोजना प्रस्तावकों द्वारा प्रेषित वांछित जानकारी/दस्तावेज प्राप्त परिवेश 1.0 के प्रकरण में अवलोकन पश्चात् विचार कर पर्यावरणीय स्वीकृति / टीओआर / अन्य आवश्यक निर्णय लिया जाना।**

1. **मेसर्स गट्टीपलना ग्रेनाईट माईन (प्रो.– श्री विमल लुनिया), ग्राम–गट्टीपलना, तहसील–फरसगांव, जिला–कोड़ागांव (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 2525)**

ऑनलाईन आवेदन – प्रपोजल नम्बर – एसआईए/सीजी/एमआईएन/433333/2023, दिनांक 20/06/2023 द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन किया गया है।

प्रस्ताव का विवरण – यह पूर्व से संचालित ग्रेनाईट (मुख्य खनिज) खदान है। खदान ग्राम–गट्टीपलना, तहसील–फरसगांव, जिला–कोड़ागांव स्थित खसरा क्रमांक 2/53, कुल क्षेत्रफल–1.416 हेक्टेयर में है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता–1,764 घनमीटर प्रतिवर्ष है।

भारत सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा ऑफिस मेमोरेण्डम दिनांक 28/04/2023 जारी किया गया है, जिसके पैरा 4 में निम्न प्रावधान हैः–

"The matter has been examined in the Ministry and accordingly it has been decided that all valid ECs issued by DEIAA shall be reappraised through SEAC/SEIAA in compliance to the order of the Hon'ble NGT in O.A.142 of 2022. In view of above, it is hereby directed that all concerned SEACs shall re-appraise the ECs issued by DEIAAs between 15.01.2016 and 13.09.2018 (including both dates) and all fresh ECs in this regard shall be granted only by SEIAAs based on such appraisal. The exercise shall be completed within a time period of one year from the date of issue of this OM. DEIAAs shall transfer all such files where ECs have been granted to concerned SEIAA within a time period of one month from issue of this OM."

उक्त ऑफिस मेमोरेण्डम के तहत् परियोजना प्रस्तावक द्वारा जिला स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण से जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के पुनः अनुशंसा (re-appraisal) हेतु एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के समक्ष ऑनलाईन आवेदन किया गया है।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 18/08/2023 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठकों का विवरण –

(अ) समिति की 483वीं बैठक दिनांक 24/08/2023:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री रामकुमार नाग, अधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:–

1. **पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण:–**

   i. पूर्व में ग्रेनाईट खदान खसरा क्रमांक 2/53 कुल क्षेत्रफल–3.50 एकड़, क्षमता–1,764 घनमीटर प्रतिवर्ष हेतु जिला स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, जिला–कोण्डागांव द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति दिनांक 06/09/2017 को जारी की गई।

   ii. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तो के पालन में की गई कार्यवाही की जानकारी फोटोग्राफ्स सहित प्रस्तुत की गई है। समिति का मत है कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, रायपुर से पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति का पालन प्रतिवेदन प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

   iii. निर्धारित शर्तानुसार वृक्षारोपण नहीं किया गया है। समिति का मत है कि पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तो के अनुरूप किए गए वृक्षारोपण (पौधों में संख्यांकन (Numbering) एवं नाम) फोटोग्राफ्स सहित जानकारी प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

   iv. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–कोण्डागांव के ज्ञापन क्रमांक 112/खनिज/2023–24 कोण्डागांव, दिनांक 23/08/2023 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार विगत वर्षों में किये गये उत्खनन की जानकारी निम्नानुसार है:–

वर्ष	उत्पादन (घनमीटर)
01/04/2018 से 31/03/2019	767.316
01/04/2019 से 31/03/2020	944.567

01/04/2020 से 31/03/2021	541.909
01/04/2021 से 31/03/2022	805.564
01/04/2022 से 31/03/2023	1,079.939
01/04/2023 से 31/07/2023	323.843

समिति का मत है कि दिनांक 06/09/2017 से 31/03/2018 तक किए गए उत्खनन की वास्तविक मात्रा की जानकारी खनिज विभाग से प्रमाणित कराकर प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

2. समिति द्वारा पाया गया कि पूर्व में डी.ई.आई.ए.ए., छ.ग. द्वारा ग्रेनाईट (गौण खनिज) के अनुसार पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किया गया है। वर्तमान में परियोजना प्रस्तावक द्वारा ग्रेनाईट (मुख्य खनिज) हेतु आवेदन किया गया है। समिति का मत है कि उक्त के संबंध में परियोजना प्रस्तावक से स्पष्टीकरण मंगाया जाना आवश्यक है।

3. **ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – उत्खनन के संबंध में ग्राम पंचायत गट्टीपलना का दिनांक 17/09/2013 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।

4. **उत्खनन योजना** – स्किम ऑफ माईनिंग अलॉग विथ प्रोग्रेसिव माईन क्लोजर प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो संयुक्त संचालक (खनि.प्रशा.), संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म नवा रायपुर अटल नगर के ज्ञापन क्रमांक 1590/एमसीसी/एमपी–04/2014, अटल नगर, दिनांक 30/03/2019 द्वारा अनुमोदित है।

5. **500 मीटर की परिधि में स्थित खदान** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–कोण्डागांव के ज्ञापन क्रमांक 113/खनिज/2023–24 कोण्डागांव, दिनांक 23/08/2023 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित खदानों की संख्या निरंक है।

6. **200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/संरचनाए** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–कोण्डागांव के ज्ञापन क्रमांक 114/खनिज/2023–24 कोण्डागांव, दिनांक 23/08/2023 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान से 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे मंदिर मस्जिद, मरघट, अस्पताल, स्कूल, पुल, बांध, राष्ट्रीय राजमार्ग, राज्यमार्ग, एनीकट एवं जल आपूर्ति आदि प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित नहीं है।

7. **भूमि एवं लीज का विवरण** – यह शासकीय भूमि है। लीज श्री विमल लुनिया के नाम पर है। लीज डीड 5 वर्षों अर्थात् दिनांक 26/04/1988 से 22/04/1993 तक की अवधि तक वैध थी। तत्पश्चात् लीज डीड 20 वर्षों अर्थात् दिनांक 01/01/2014 से 31/12/2033 तक की अवधि हेतु विस्तारित की गई है। समिति का मत है कि वर्ष 1993 से 2014 तक की अवधि का लीज का विवरण प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

8. **वन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – कार्यालय वन मण्डलाधिकारी, कोण्डागांव सामान्य वन मण्डल जिला–कोण्डागांव के ज्ञापन क्रमांक/मा.चि./359 कोण्डागांव दिनांक 23/01/1998 द्वारा जारी पत्र अनुसार यह वन संरक्षण अधिनियम 1980

के प्रावधानों के अंतर्गत नहीं आता है। समिति का मत है कि लीज क्षेत्र से निकटतम वन क्षेत्र की वास्तविक दूरी का उल्लेख करते हुये वनमण्डलाधिकारी से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है। साथ ही समिति का यह भी मत है कि लीज क्षेत्र से निकटतम राष्ट्रीय उद्यान एवं वन्य जीव अभ्यारणय की दूरी का उल्लेख करते हुये उप–संचालक (वन्य प्राणी एवं जैव विविधता संरक्षण) से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

9. **महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी** – निकटतम आबादी, स्कूल एवं अस्पताल ग्राम–फरसगांव 1.73 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 1.7 कि.मी. एवं राज्यमार्ग 24 कि.मी. दूर है। बरकी नाला 2.23 कि.मी. दूर है।

10. **पारिस्थितिकीय/जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्जीय सीमा, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्युटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।

11. **खनन संपदा एवं खनन का विवरण** – जियोलॉजिकल रिज़र्व 1,50,925 घनमीटर एवं माईनेबल रिजर्व 61,700 घनमीटर है। लीज की 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी (उत्खनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र) का क्षेत्रफल 3,644 वर्गमीटर है। ओपन कास्ट सेमी मेकेनाईज्ड विधि से उत्खनन किया जाता है। उत्खनन की प्रस्तावित अधिकतम गहराई 18 मीटर है। लीज क्षेत्र में ऊपरी मिट्टी की मोटाई 0.5 मीटर तथा कुल मात्रा 1,316 घनमीटर है। लीज क्षेत्र में ओव्हर बर्डन की मोटाई 0.5 मीटर तथा कुल मात्रा 1,316 घनमीटर है। बेंच की ऊंचाई 3 मीटर एवं चौड़ाई 4 मीटर है। खदान की संभावित आयु 43 वर्ष है। लीज क्षेत्र में क्रशर स्थापित नहीं है एवं इसकी स्थापना का प्रस्ताव नहीं किया गया है। जैक हैमर से ड्रिलिंग एवं कंट्रोल ब्लास्टिंग किया जाता है। खदान में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु जल का छिड़काव किया जाता है। वर्षवार प्रस्तावित उत्खनन का विवरण निम्नानुसार है:–

वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन (घनमीटर)
प्रथम	1,764
द्वितीय	1,764
तृतीय	1,764
चतुर्थ	1,764
पंचम	1,764

12. **जल आपूर्ति** – परियोजना हेतु आवश्यक जल की मात्रा 5 घनमीटर प्रतिदिन होती है। 2 घनमीटर प्रतिदिन भू–जल की उपयोगिता हेतु सेन्ट्रल ग्राउण्ड वॉटर अथॉरिटी से अनुमति प्राप्त कर प्रस्तुत किया गया है। समिति का मत है कि शेष आवश्यक जल की आपूर्ति स्त्रोत एवं अनुमति संबंधी जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

13. **वृक्षारोपण कार्य** – लीज क्षेत्र की सीमा में चारों ओर 7.5 मीटर की पट्टी में 729 नग वृक्षारोपण किया जाएगा। प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार पौधों के लिए राशि 55,404 रूपये, फेंसिंग के लिए राशि 1,63,400 रूपये, खाद के लिए राशि 5,460 रूपये, सिंचाई एवं रख–रखाव के लिए राशि 2,16,000 रूपये इस प्रकार प्रथम वर्ष में कुल

राशि 4,40,264 रूपये एवं रख–रखाव के लिए आगामी 4 वर्ष तक राशि 8,88,352 रूपये प्रतिवर्ष हेतु व्यय का विवरण प्रस्तुत किया गया है।

14. **खदान की 7.5 मीटर की चौड़ी सीमा पट्टी में उत्खनन** – लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर की सीमा पट्टी में उत्खनन कार्य नहीं किया गया है।

15. **कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.)** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा समिति के समक्ष **विस्तार** से चर्चा उपरांत निम्नानुसार विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है:–

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount Required for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)
32	2%	0.64	Following activities at Nearby, Village- Gattipalna	
			Plantation in Muktidham	12.70
			Total	**12.70**

सी.ई.आर. के अंतर्गत मुक्तिधाम में वृक्षारोपण (नीम, पीपल, आम, जामुन, कटहल, कदम, करंज, आवला, अमलतास आदि) हेतु प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार 400 नग पौधों के लिए राशि 30,400 रूपये, फेंसिंग के लिए राशि 143,300 रूपये, खाद के लिए राशि 3,000 रूपये, सिंचाई के लिए राशि 1,20,000 रूपये तथा रख–रखाव आदि के लिए राशि 96,000 रूपये, इस प्रकार प्रथम वर्ष में कुल राशि 3,92,700 रूपये तथा आगामी 4 वर्ष में कुल राशि 8,77,360 रूपये हेतु घटकवार व्यय का विवरण प्रस्तुत किया गया है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा ग्राम पंचायत गट्टीपलना के सहमति उपरांत यथायोग्य स्थान (खसरा क्रमांक 42/1, क्षेत्रफल 0.250 हेक्टेयर) के संबंध में जानकारी प्रस्तुत की गई है।

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया था:–

1. एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, रायपुर से पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति का पालन प्रतिवेदन प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाए।
2. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तो के अनुरूप किए गए वृक्षारोपण (पौधों में संख्यांकन (Numbering) एवं नाम) फोटोग्राफ्स सहित जानकारी प्रस्तुत किया जाए।
3. पूर्व में डी.ई.आई.ए.ए., छ.ग. द्वारा ग्रेनाईट (गौण खनिज) के अनुसार पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किया गया है। वर्तमान में ग्रेनाईट (मुख्य खनिज) हेतु आवेदन किया गया है। अतः उक्त के संबंध में स्पष्टीकरण प्रस्तुत किया जाए।
4. दिनांक 06/09/2017 से 31/03/2018 तक किए गए उत्खनन की वास्तविक मात्रा की जानकारी खनिज विभाग से प्रमाणित कराकर प्रस्तुत किया जाए।
5. लीज डीड वर्ष 1993 से 2014 तक की अवधि का विवरण प्रस्तुत किया जाए।

6. लीज क्षेत्र से निकतटम वन क्षेत्र की वास्तविक दूरी का उल्लेख करते हुये वनमण्डलाधिकारी से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाए।

7. लीज क्षेत्र से निकतटम राष्ट्रीय उद्यान एवं वन्य जीव अभ्यारणय की दूरी का उल्लेख करते हुये उप–संचालक (वन्य प्राणी एवं जैव विविधता संरक्षण) से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाए।

8. ऊपरी मिट्टी एवं ओव्हर बर्डन प्रबंधन योजना प्रस्तुत किया जाए।

9. जल की आपूर्ति (शेष 3 घनमीटर प्रतिदिन) स्त्रोत एवं अनुमति संबंधी जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किया जाए।

10. फ्यूजिटिव डस्ट उत्सर्जन के नियंत्रण हेतु नियमित जल छिड़काव किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए।

11. छत्तीसगढ़ आदर्श पुनर्वास नीति के तहत् स्थानीय लोगों को रोजगार दिये जाने हेतु शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए।

12. माईनिंग लीज क्षेत्र के अंदर सघन वृक्षारोपण किये जाने एवं रोपित पौधों का सरवाईवल रेट (Survival rate) 90 प्रतिशत सुनिश्चित किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए।

13. परियोजना प्रस्तावक द्वारा मिनरल्स कनसेशन नियम (Minerals Concession Rule) के तहत् बाउण्ड्री पिल्लर्स द्वारा सीमाकंन का कार्य सुनिश्चित किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए।

14. ब्लास्टिंग का कार्य डी.जी.एम.एस. द्वारा अधिकृत विस्फोटक लाईसेंस धारक (Explosive License Holder) द्वारा कराये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए।

15. परियोजना प्रस्तावक द्वारा अंडरटेकिंग (Undertaking) प्रस्तुत किया जाए कि उसके विरूद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना का.आ. 804(अ), दिनांक 14/03/2017 के अंतर्गत कोई उल्लंघन का प्रकरण लंबित नहीं है।

16. माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिनांक 02/08/2017 को common cause vs. Union of India writ petition (C) 114 of 214 में दिये गये निर्देश का पालन किया जावेगा इस बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए।

17. माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिनांक 08/01/2020 को writ petition (S) Civil No.114 /2014 common cause vs. Union of India & Ors. में दिये गये दिशा निर्देशों का पालन किया जावेगा इस बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए।

उपरोक्त वांछित जानकारी/दस्तावेज प्राप्त होने उपरांत आगामी कार्यवाही की जाएगी।

तदानुसार एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 30/11/2023 के परिपेक्ष्य में परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिनांक 30/04/2024 को जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किया गया।

(ब) समिति की 533वीं बैठक दिनांक 30/05/2024:

समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:–

1. एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर से पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति का पालन प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के संबंध में परियोजना प्रस्तावक द्वारा पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तो के पालन में की गई कार्यवाही की स्व–प्रमाणित जानकारी प्रस्तुत की गई है।

2. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तो के अनुरूप किए गए वृक्षारोपण (पौधों में संख्यांकन (Numbering) एवं नाम) फोटोग्राफ्स सहित जानकारी प्रस्तुत किया गया है।

3. पूर्व में डी.ई.आई.ए.ए., छ.ग. द्वारा ग्रेनाईट (गौण खनिज) के अनुसार पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किया गया है। वर्तमान में ग्रेनाईट (मुख्य खनिज) हेतु आवेदन किया गया है। अतः उक्त के संबंध में परियोजना प्रस्तावक का कथन है कि यह एक गौण खनिज खदान है, त्रुटिवश मुख्य खनिज का उल्लेख हो गया है।

4. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–कोण्डागांव के ज्ञापन क्रमांक 142/खनिज/2023–24 कोण्डागांव, दिनांक 08/01/2024 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार दिनांक 06/09/2017 से 31/03/2018 में किये गये उत्खनन की मात्रा 345.562 घनमीटर है।

5. लीज श्री विमल लुनिया के नाम पर है। लीज डीड वर्ष 1993 से 2014 अवधि तक की प्रति प्रस्तुत की गई है।

6. कार्यालय वनमण्डलाधिकारी, केशकाल वनमण्डल, केशकाल, जिला–कोण्डागांव के ज्ञापन क्रमांक 21/मा.चि./अना. 2023–24 केशकाल, दिनांक 02/01/2024 से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र अनुसार आवेदित क्षेत्र से वन क्षेत्र की सीमा से 300 मीटर की दूरी पर है।

7. कार्यालय उप वनमण्डलाधिकारी, फरसगांव उप वनमण्डल, वनमण्डल केशकाल, जिला–कोण्डागांव के ज्ञापन क्रमांक 992 फरसगांव, दिनांक 15/12/2023 से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र अनुसार लीज क्षेत्र से निकतटम राष्ट्रीय उद्यान एवं वन्य जीव अभ्यारण्य से 200 कि.मी. की दूरी पर है।

8. ऊपरी मिट्टी एवं ओव्हर बर्डन प्रबंधन योजना प्रस्तुत किये जाने के संबंध में परियोजना प्रस्तावक का कथन है कि यह पूर्व से संचालित ग्रेनाईट खदान है। अतः पूर्व से ही ऊपरी मिट्टी उत्खनित की जा चुकी है, जिसका उपयोग लीज क्षेत्र के चारों ओर वृक्षारोपण में किया गया है। ओव्हर बर्डन का उपयोग सड़कों के रख–रखाव हेतु किया जाता है।

9. शेष 3 घनमीटर प्रतिदिन जल की आपूर्ति भू–जल से की जाएगी। इस बाबत् सेन्ट्रल ग्राउण्ड वॉटर अथॉरिटी की अनुमति प्राप्त कर प्रस्तुत किया गया है।

10. फ्यूजिटिव डस्ट उत्सर्जन के नियंत्रण हेतु नियमित जल छिड़काव किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

11. छत्तीसगढ़ आदर्श पुनर्वास नीति के तहत् स्थानीय लोगों को रोजगार दिये जाने हेतु शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

12. माईनिंग लीज क्षेत्र के अंदर सघन वृक्षारोपण किये जाने एवं रोपित पौधों का सरवाईवल रेट (Survival rate) 90 प्रतिशत सुनिश्चित किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

13. परियोजना प्रस्तावक द्वारा मिनरल्स कनसेशन नियम (Minerals Concession Rule) के तहत् बाउण्ड्री पिल्लर्स द्वारा सीमाकंन का कार्य सुनिश्चित किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

14. ब्लास्टिंग का कार्य डी.जी.एम.एस. द्वारा अधिकृत विस्फोटक लाईसेंस धारक (Explosive License Holder) द्वारा कराये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

15. परियोजना प्रस्तावक द्वारा शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है कि उसके विरूद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना का.आ. 804(अ), दिनांक 14/03/2017 के अंतर्गत कोई उल्लंघन का प्रकरण लंबित नहीं है।

16. माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिनांक 02/08/2017 को common cause vs. Union of India writ petition (C) 114 of 214 में दिये गये निर्देश का पालन किया जावेगा इस बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

17. माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिनांक 08/01/2020 को writ petition (S) Civil No.114 /2014 common cause vs. Union of India & Ors. में दिये गये दिशा निर्देशों का पालन किया जावेगा इस बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

18. समिति का मत है कि सी.ई.आर. एवं वृक्षारोपण कार्य के मॉनिटरिंग एवं पर्यवेक्षण हेतु त्रि–पक्षीय समिति (प्रोपराईटर/प्रतिनिधि, ग्राम पंचायत के पदाधिकारी/प्रतिनिधि एवं जिला प्रशासन या छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल के पदाधिकारी/प्रतिनिधि) गठित किया जाना आवश्यक है। साथ ही सी.ई.आर. एवं वृक्षारोपण का कार्य पूर्ण किये जाने के उपरांत गठित त्रि–पक्षीय समिति से सत्यापित कराया जाना आवश्यक है।

19. माननीय एन.जी.टी., प्रिंसिपल बेंच, नई दिल्ली द्वारा सत्येंद्र पाण्डेय विरूद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली एवं अन्य (ओरिजनल एप्लिकेशन नं. 186 ऑफ 2016 एवं अन्य) में दिनांक 13/09/2018 को पारित आदेश में मुख्य रुप से निम्नानुसार निर्देशित किया गया है:–

   a) Providing for EIA, EMP and therefore, Public consultation for all areas from 5 to 25 ha. falling under category B-2 at par with category B-1 by SEAC / SEIAA as well as for cluster situation where ever it is not provided.

   b) If a cluster or an individual lease size exceed 5 ha. EIA / EMP be made applicable in the process of grant of prior environment clearance.

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:–

1. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–कोण्डागांव के ज्ञापन क्रमांक 113/खनिज/2023–24 कोण्डागांव, दिनांक 23/08/2023 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित खदानों की संख्या निरंक है। आवेदित खदान (ग्राम–गट्ठीपलना) का क्षेत्रफल 0.303 हेक्टेयर है। खदान की सीमा से 500 मीटर की परिधि में स्वीकृत/संचालित खदानों का कुल क्षेत्रफल 5 हेक्टेयर या उससे कम होने के कारण यह खदान बी–2 श्रेणी की मानी गयी।

2. मेसर्स गट्ठीपलना ग्रेनाईट माईन (प्रो.– श्री विमल लुनिया) को ग्राम–गट्ठीपलना, तहसील–फरसगांव, जिला–कोंडागांव के खसरा क्रमांक 2/53 में स्थित ग्रेनाईट (मुख्य खनिज) खदान, कुल क्षेत्रफल–1.416 हेक्टेयर, क्षमता – 1,764 टन प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति दिए जाने की अनुशंसा की गई।

प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार – उपरोक्त प्रकरण पर प्राधिकरण की दिनांक 27/09/2024 को संपन्न 181वीं बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा नस्ती का अवलोकन किया गया। **प्राधिकरण द्वारा नोट किया गया कि** समिति द्वारा ग्रेनाईट (मुख्य खनिज) खदान के अनुसार पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु अनुशंसा की गई है, जबकि समिति की 533वीं बैठक दिनांक 30/05/2024 के कार्यवाही विवरण के बिन्दु क्रमांक 3 में "पूर्व में डी.ई.आई.ए.ए., छ.ग. द्वारा ग्रेनाईट (गौण खनिज) के अनुसार पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किया गया है। वर्तमान में ग्रेनाईट (मुख्य खनिज) हेतु आवेदन किया गया है। अतः उक्त के संबंध में परियोजना प्रस्तावक का कथन है कि यह एक गौण खनिज खदान है, त्रुटिवश मुख्य खनिज का उल्लेख हो गया है।" का उल्लेख किया गया है। उक्त से यह स्पष्ट नहीं हो पा रहा है कि आवेदित प्रकरण मुख्य खनिज या गौण खनिज का है? साथ ही यह भी स्पष्ट नहीं है कि आवेदित प्रकरण को मुख्य खनिज अथवा गौण खनिज, कौन से खनिज अनुसार पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किया जाना है। उपरोक्त विसंगतियों के संबंध में **प्राधिकरण द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से** उपरोक्त तथ्यों के परिपेक्ष्य में परीक्षण उपरांत उपयुक्त अनुशंसा किये जाने हेतु प्रकरण को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के समक्ष प्रस्तुत किये जाने का निर्णय लिया गया।

तदानुसार एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन क्रमांक 1232, दिनांक 20/11/2024 के माध्यम से एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ को प्रेषित किया गया है।

(स) समिति की 687वीं बैठक दिनांक 08/10/2025:

समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिनांक 08/10/2025 को निम्नानुसार जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किया गया है:–

1. THE MINES AND MINERALS (DEVELOPMENT AND REGULATION) ACT, 1957 ACT NO. 67 OF 1957 की प्रति प्रस्तुत किया गया है, जिसके चैप्टर 1 के बिन्दु क्रमांक 3(e) के अनुसार ग्रेनाईट खदान गौण खनिज में आता है।

2. आई.बी.एम., भारत सरकार, खान मंत्रालय द्वारा जारी Indian Minerals Year book 2017 (Part – III : Mineral Reviews) 56th Edition में 30 खनिजों को गौण खनिज श्रेणी में रखा गया है, जिसमें ग्रेनाईट भी शामिल है। साथ ही आई.बी.एम., भारत सरकार, खान मंत्रालय द्वारा जारी Indian Minerals Year book 2022 (Part – III : Mineral Reviews) 61st Edition Minor Minerals में भी ग्रेनाईट खदान को गौण खनिज श्रेणी में रखा गया है।

3. छत्तीसगढ़ गौण खनिज नियम, 2015 में भी ग्रेनाईट खदान शामिल है।

4. परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि ऑनलाईन आवेदन में त्रुटिवश गौण खनिज के स्थान मुख्य खनिज का उल्लेख हो गया है। इस संबंध में परियोजना प्रस्तावक शपथ पत्र (Notarized affidavit) प्रस्तुत किया गया है।

5. समिति द्वारा उपरोक्त प्रस्तुत जानकारी/दस्तावेज का अवलोकन कर पाया कि आवेदित खदान (ग्रेनाईट) गौण खनिज खदान है।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि पूर्व में समिति की 533वीं बैठक दिनांक 30/05/2024 में की गई अनुशंसा के आधार पर लीज एरिया से निकटतम वन क्षेत्र की दूरी 300 मीटर के संबंध में एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ के द्वारा माननीय एन.जी.टी. के आदेश के आलोक में अंतिम निर्णय लिये जाने एवं जिले में लागू डिस्ट्रिक्ट सर्वे रिपोर्ट (DSR) वैध होने की शर्त पर ग्रेनाईट (गौण खनिज) की पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने की पुनः अनुशंसा की जाती है। उक्त बैठक में निहित की गई अन्य शर्तें यथावत् रहेगी।

प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार – उपरोक्त प्रकरण पर प्राधिकरण की दिनांक 17/11/2025 को संपन्न 210वीं बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा नस्ती का अवलोकन किया गया। प्राधिकरण द्वारा नोट किया गया है:–

1. समिति द्वारा माननीय एन.जी.टी. के आदेश के आलोक में अंतिम निर्णय लिये जाने एवं जिले में लागू डिस्ट्रिक्ट सर्वे रिपोर्ट (DSR) वैध होने की शर्त पर पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने की अनुशंसा की गई है। वैध डिस्ट्रिक्ट सर्वे रिपोर्ट (DSR) के आधार पर अनुशंसा किया जाना आवश्यक है के संबंध में परियोजना प्रस्तावक एवं खनिज विभाग से जानकारी प्राप्त किया जाना उचित होगा।

2. कार्यालय वनमण्डलाधिकारी, केशकाल वनमण्डल, केशकाल, जिला–कोण्डागांव के ज्ञापन क्रमांक 21/मा.चि./अना. 2023–24 केशकाल, दिनांक 02/01/2024 से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र अनुसार आवेदित क्षेत्र से वन क्षेत्र की सीमा से 300 मीटर की दूरी पर है। माननीय एनजीटी द्वारा आरक्षित एवं संरक्षित वनक्षेत्र की सीमा से खदान की दूरी 01 कि.मी. के भीतर नहीं दिये जाने का आदेश है एवं यह भी आदेशित किया गया है कि यदि राज्य शासन चाहे तो स्वयं यह दूरी निर्धारित कर अधिसूचित किया जा सकता है। अतः इस बिन्दु का भी परीक्षण करें।

प्राधिकरण द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से उपरोक्त तथ्यों के परिपेक्ष्य में परीक्षण उपरांत उपयुक्त अनुशंसा किये जाने हेतु प्रकरण को एस.ई.ए.सी.–3, छत्तीसगढ़ के समक्ष प्रस्तुत किये जाने का निर्णय लिया गया।

तदानुसार एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 06/01/2026 के परिपेक्ष्य में परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिनांक 13/02/2026 को जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किया गया।

(द) समिति की 756वीं बैठक दिनांक 26/02/2026:

समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:–

1. परियोजना प्रस्तावक द्वारा डिस्ट्रिक्ट सर्वे रिपोर्ट (DSR) कोण्डागांव 2025 प्रस्तुत किया गया है।

2. परियोजना प्रस्तावक द्वारा शपथ पत्र (Notarized Affidavit) प्रस्तुत किया गया गया है जिसमें "एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ द्वारा जो भी अंतिम निर्णय माननीय एन.जी.टी. के आदेश के निकटतम वन क्षेत्र से खदान की दूरी के लिए लिया जाएगा वह मुझे मान्य होगा।

यह कि पूर्व से संचालित खदान है। जिसकी पर्यावरणीय स्वीकृति डी.ई.आई.ए.ए. कोण्डागांव छत्तीसगढ़ द्वारा सारी जानकारी को ध्यान में रखकर किया गया अतः एस. ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ में भी इन बातों को ध्यान में रखते हुए अंतिम निर्णय के आने तक मुझे खदान संचालित करने के लिए कंडिश्नल पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान करने की कृपा करें।" का उल्लेख है।

समिति द्वारा नोट किया गया कि कार्यालय वनमण्डलाधिकारी, केशकाल वनमण्डल, केशकाल, जिला–कोण्डागांव द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार आवेदित क्षेत्र से वन क्षेत्र की सीमा से 300 मीटर की दूरी पर है। माननीय एन.जी.टी. द्वारा प्रकरण ओ. ए. क्रमांक 142/2022 में दिनांक 08/08/2024 को पारित आदेश में निम्नानुसार निर्देश दिये गये है:–

"Though in the present case, it is a 'Reserve Forest' but in our view, the need of having a buffer area for reserve forest similar to that it was found necessary in respect of national parks and wildlife sanctuaries is equally relevant, important and necessary and therefore, the mere fact that the boundary of the mining lease area is outside the notified boundary of reserved forest is not sufficient reason to allow mining activities. Such activities must be disallowed within buffer area which until provided otherwise by Competent Authority by issuing appropriate notification, we find shall be followed as 1 km from the actual boundary of the notified 'Reserve Forest'/'Protected Forest', as the case may be."

उपरोक्त के परिपालन में राज्य स्तर पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (एस. ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ द्वारा पत्र दिनांक 14/10/2024 के माध्यम से वन विभाग को आवश्यक कार्यवाही हेतु लेख किया गया था। माननीय एन.जी.टी. द्वारा उपरोक्त प्रकरण में पारित आदेश के 18 माह पश्चात् भी सक्षम प्राधिकारी द्वारा रिजर्व फॉरेस्ट/प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट की सीमा से माईन लीज सीमा के मध्य अनुमेय दूरी (Buffer distance) के संबंध में कोई भी अधिसूचना जारी नहीं की गई है।

अतः उपरोक्त के दृष्टिगत **समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से** परियोजना प्रस्तावक के री–अप्राईजल के आवेदन को निरस्त किये जाने की अनुशंसा की जाती है। परियोजना प्रस्तावक को माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रकरण सिविल अपील क्रमांक 3799–3800/2019 में पारित आदेश के परिपालन में जारी अंतरिम आदेश की वैधता, डी.ई.आई.ए.ए. द्वारा जारी पर्यावरणीय स्वीकृति में वर्णित सभी शर्तों का अनुपालन किये जाने रहते के अधीन माननीय उच्चतम न्यायालय के आगामी आदेश तक रहेगी।

सक्षम प्राधिकारी द्वारा रिजर्व फॉरेस्ट/प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट की सीमा से माईन लीज सीमा के मध्य अनुमेय दूरी (Buffer distance) के संबंध में अधिसूचना जारी किये जाने के उपरांत परियोजना प्रस्तावक द्वारा री–अप्राईजल हेतु पुनः आवेदन किया जा सकेगा।

राज्य स्तर पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ को तदानुसार सूचित किया जाए।

2. **मेसर्स गुरूदेव स्टोन क्वारी (प्रो.– श्री मुकेश जैन), ग्राम–पारागांव, तहसील–आरंग, जिला–रायपुर (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 2818)**

भारत सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा ऑफिस मेमोरेण्डम दिनांक 28/04/2023 जारी किया गया है, जिसके पैरा 4 में निम्न प्रावधान हैः–

"The matter has been examined in the Ministry and accordingly it has been decided that all valid ECs issued by DEIAA shall be reappraised through SEAC/SEIAA in compliance to the order of the Hon'ble NGT in O.A.142 of 2022. In view of above, it is hereby directed that all concerned SEACs shall re-appraise the ECs issued by DEIAAs between 15.01.2016 and 13.09.2018 (including both dates) and all fresh ECs in this regard shall be granted only by SEIAAs based on such appraisal. The exercise shall be completed within a time period of one year from the date of issue of this OM. DEIAAs shall transfer all such files where ECs have been granted to concerned SEIAA within a time period of one month from issue of this OM."

उक्त ऑफिस मेमोरेण्डम के तहत् परियोजना प्रस्तावक द्वारा जिला स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण से जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के पुनः अनुशंसा (re-appraisal) हेतु एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के समक्ष ऑनलाईन आवेदन किया गया है।

विषय वस्तु	आवेदित प्रकरण से संबंधित विवरण	समिति द्वारा नोट किया गया कि
ऑनलाईन आवेदन	ई.सी. – 453682 एवं 29/11/2023	
खदान का प्रकार	फर्शी पत्थर (गौण खनिज) खदान	संचालित
क्षेत्रफल एवं क्षमता	0.96 हेक्टेयर एवं 9,030 टन प्रतिवर्ष	संलग्न है।
खसरा क्रमांक	1859(पार्ट)	संलग्न है।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 03/01/2024 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठकों का विवरण –

(अ) समिति की 506वीं बैठक दिनांक 09/01/2024:

प्रस्तुतीकरण हेतु कोई भी प्रतिनिधि उपस्थित नहीं हुए। परियोजना प्रस्तावक के पत्र दिनांक 09/01/2024 द्वारा सूचना दी गयी है कि जानकारी अपूर्ण होने के कारण से समिति के समक्ष बैठक में प्रस्तुतीकरण हेतु उपस्थित होना संभव नहीं है। अतः आगामी आयोजित बैठक में समय प्रदान करने हेतु अनुरोध किया गया है।

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया था कि परियोजना प्रस्तावक को पूर्व में चाही गई वांछित जानकारी एवं समस्त सुसंगत जानकारी / दस्तावेज सहित प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया गया।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 07/03/2024 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

(ब) समिति की 518वीं बैठक दिनांक 11/03/2024:

प्रस्तुतीकरण हेतु उपस्थित प्रतिनिधि		श्री मुकेश जैन, प्रोपराईटर उपस्थित हुए।
भू–स्वामित्व	निजी भूमि भूमि मेसर्स गुरूदेव स्टोन, प्रो.– श्री मुकेश जैन के नाम पर है।	संलग्न है।
पूर्व में जारी ई.सी.	पूर्व में ई.सी. धारक – मेसर्स आनंद स्टोन इंडस्ट्रीज, प्रोपराईटर – श्रीमती सपना सिंघानिया खदान का प्रकार – फर्शी पत्थर (गौण खनिज) खदान खसरा क्रमांक – 1859 क्षेत्रफल – 0.96 हेक्टेयर क्षमता – 9,030 टन प्रतिवर्ष दिनांक – 03/12/2016	डी.ई.आई.ए.ए., जिला–रायपुर पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता दिनांक 07/05/2042 तक है। प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावत द्वारा बताया गया कि पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति का नाम हस्तांतरण नहीं हुआ है।
पूर्व में जारी ई.सी. का पालन प्रतिवेदन	स्व–प्रमाणित – हाँ	निर्धारित शर्तानुसार वृक्षारोपण नहीं किया गया है। पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तो के अनुरूप निर्धारित शर्तानुसार वृक्षारोपण करते हुए पौधों में संख्यांकन (Numbering) एवं पौधे के नाम का उल्लेख किया जाकर फोटोग्राफ्स सहित जानकारी प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
विगत वर्षो में किये गये उत्खनन	दिनांक 17/01/2023 वर्ष 2017–18 में 341.5 घनमीटर वर्ष 2018–19 में 488.5 घनमीटर वर्ष 2019–20 में 485.75 घनमीटर वर्ष 2020–21 में 618 घनमीटर वर्ष 2021–22 में 271 घनमीटर	संलग्न है।
ग्राम पंचायत एन.ओ.सी.	ग्राम पंचायत पारागांव दिनांक 12/11/2011	संलग्न है।
उत्खनन योजना अनुमोदन	दिनांक 12/10/2022	संलग्न है।
500 मीटर	दिनांक 17/01/2023	01 खदान, क्षेत्रफल 1.92 हेक्टेयर
200 मीटर	दिनांक 17/01/2023	प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित नहीं है। 200 मीटर के भीतर महानदी एवं राष्ट्रीय राजमार्ग स्थित है।
लीज डीड	वर्तमान लीज धारक – मेसर्स गुरूदेव स्टोन, प्रोपराईटर – श्री मुकेश जैन अवधि–08/05/2012 से 07/05/2042	पूर्व में लीज धारक – मेसर्स आनंद स्टोन, प्रोपराईटर – श्रीमती सपना सिंघानिया लीज हस्तांतरण – दिनांक 31/01/2020

वन विभाग एन.ओ.सी.	वन मण्डलाधिकारी, रायपुर वन मण्डल रायपुर द्वारा जारी दिनांक 21/02/2024	वनक्षेत्र से दूरी – 17.61 कि.मी.।
महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी	आबादी ग्राम – पारागांव 1.5 कि.मी. स्कूल ग्राम – पारागांव 500 मीटर अस्पताल – आरंग 6 कि.मी. राष्ट्रीय राजमार्ग – 130 मीटर	महानदी – 120 मीटर
पारिस्थितिकीय/ जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र	5 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्जीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्युटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं है।	संलग्न है।
खनन संपदा एवं खनन का विवरण	उत्खनन विधि – ओपन कास्ट मेनुअल **माईनिंग प्लान अनुसार रिर्जव्स –** जियोलॉजिकल 55,860 घनमीटर (1,39,650 टन) माईनेबल 26,397 घनमीटर (65,992 टन) रिकव्हरेबल 19,798 घनमीटर (49,495 टन) प्रस्तावित गहराई 10 मीटर बेंच की ऊंचाई 1.5 मीटर बेंच की चौडाई 1.5 मीटर संभावित आयु 7 वर्ष से अधिक प्रस्तावित क्रशर – नहीं	वर्षवार उत्खनन प्रथम 9,030 टन द्वितीय 9,030 टन तृतीय 9,030 टन चतुर्थ 9,030 टन पंचम 9,030 टन
उत्खनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र	लीज के 7.5 मीटर का क्षेत्रफल – 2,801 वर्गमीटर	उत्खनित – हाँ माईनिंग प्लान में उल्लेख– हाँ रेस्टोरेशन प्लान – हाँ
गैर माईनिंग	क्षेत्रफल – 1,377 वर्गमीटर क्षेत्र छोड़ने का कारण – ऑफिस बिल्डिंग	माईनिंग प्लान में उल्लेख– हाँ
ऊपरी मिट्टी/ओव्हर बर्डन प्रबंधन योजना	मोटाई – 4 मीटर मात्रा – 12,828 घनमीटर	2,800 घनमीटर – 7.5 मीटर (माईन बाउण्ड्री) क्षेत्र में फैलाकर वृक्षारोपण के लिए उपयोग। 4,084 घनमीटर – पूर्व से उत्खनित क्षेत्र को पुनःभराव करने हेतु उपयोग। शेष 5,944 घनमीटर – लीज क्षेत्र में

		अस्थायी रूप से भण्डारित कर रखा जाएगा।
जल आपूर्ति	मात्रा – 5 घनमीटर स्त्रोत – टैंकरों के माध्यम से	ग्राम पंचायत का सहमति पत्र प्रस्तुत किया गया है।
वृक्षारोपण कार्य	लीज क्षेत्र की 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी के चारों ओर वृक्षारोपण – 300 नग	प्रस्तावित कार्य हेतु 5 वर्ष की राशि – 9,68,600 रूपये
परियोजना से संबंधित शपथ पत्र	परियोजना प्रस्तावक द्वारा ऊपरी मिट्टी प्रबंधन, फ्यूजिटिव डस्ट उत्सर्जन नियंत्रण, सघन वृक्षारोपण एवं 90 प्रतिशत जीवन स्तर सुनिश्चित, छत्तीसगढ़ आदर्श पुनर्वास नीति के तहत् रोजगार, लीज के 7.5 मीटर में भविष्य में भी कोई उत्खनन नहीं किये जाने बाबत्, प्राकृतिक जल स्त्रोतों के संरक्षण एवं संवर्धन आदि बाबत् शपथ पत्र (Notarized Undertaking) प्रस्तुत किया गया है।	परियोजना प्रस्तावक द्वारा निम्न शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किये गये है:– 1. परियोजना प्रस्तावक के विरूद्ध इस परियोजना / खदान से संबंधित कोई न्यायालयीन प्रकरण देश के अंतर्गत किसी भी न्यायालय में लंबित नहीं है। 2. परियोजना प्रस्तावक के विरूद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना का.आ. 804(अ), दिनांक 14/03/2017 के अंतर्गत कोई उल्लंघन का प्रकरण लंबित नहीं है। 3.
श्रेणी	बी–2	आवेदित खदान को मिलाकर कुल क्षेत्रफल 2.88 हेक्टेयर है।

1. लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर की सीमा पट्टी में उत्खनन कार्य किया गया है। प्रतिबंधित 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी में उत्खनन किया जाना पर्यावरणीय स्वीकृति की शर्तों का उल्लघंन है। अतः जॉच उपरांत नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही किया जाना आवश्यक है। साथ ही उक्त उत्खनित क्षेत्र को पुनःभराव किये जाने हेतु रेस्टोरेशन प्लान एवं उत्खनित भाग को शामिल करते हुए अद्यतन स्थिति अनुसार रिजर्व की गणना कर अनुमोदित क्वारी प्लान प्रस्तुत किया गया है।

2. उल्लेखनीय है कि भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा नॉन कोल माईनिंग प्रोजेक्ट्स हेतु मानक पर्यावरणीय शर्तें जारी की गई है। शर्त क्रमांक VIII (i) के अनुसार:–

   "The Project Proponent shall develop greenbelt in 7.5m wide safety zone all along the mine lease boundary as per the guidelines of CPCB in order to arrest pollution emanating from mining operations within the lease. The whole green belt shall be developed within first 5 years starting from windward side of the active mining area. The development of greenbelt shall be governed as per the EC granted by the Ministry irrespective of the stipulation made in approved mine plan."

उक्त मानक शर्त के अनुसार माईन लीज क्षेत्र के अंदर 7.5 मीटर चौड़े सेफ्टी जोन में वृक्षारोपण किया जाना आवश्यक है।

3. **कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.)** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा समिति के समक्ष विस्तार से चर्चा उपरांत निम्नानुसार विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है:–

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount Required for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)
36.27	2%	0.72	Following activities at Nearby, Village- Paragaon	
			Pavitra van nirman	6.41
			Total	**6.41**

4. सी.ई.आर. के अंतर्गत "पवित्र वन निर्माण" के तहत् (पीपल, नीम, कदंब, जामुन, बरगद आदि) वृक्षारोपण हेतु प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार 100 नग पौधों के लिए राशि 5,000 रूपये, फेंसिंग के लिए राशि 66,000 रूपये, खाद के लिए राशि 500 रूपये, सिंचाई तथा रख–रखाव आदि के लिए राशि 1,08,000 रूपये एवं अन्य कार्य के लिए राशि 20,000 रूपये इस प्रकार प्रथम वर्ष में कुल राशि 1,99,500 रूपये तथा आगामी 4 वर्ष में कुल राशि 4,42,200 रूपये हेतु घटकवार व्यय का विवरण प्रस्तुत किया गया है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा ग्राम पंचायत पारागांव के सहमति उपरांत यथायोग्य स्थान (खसरा क्रमांक 333, क्षेत्रफल 1.210 हेक्टेयर में से 0.10 हेक्टेयर) के संबंध में जानकारी प्रस्तुत की गई है।

5. समिति का मत है कि सी.ई.आर. एवं वृक्षारोपण कार्य के मॉनिटरिंग एवं पर्यवेक्षण हेतु त्रि–पक्षीय समिति (प्रोपराईटर/प्रतिनिधि, ग्राम पंचायत के पदाधिकारी/प्रतिनिधि एवं जिला प्रशासन या छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल के पदाधिकारी/प्रतिनिधि) गठित किया जाना आवश्यक है। साथ ही सी.ई.आर. एवं वृक्षारोपण का कार्य पूर्ण किये जाने के उपरांत गठित त्रि–पक्षीय समिति से सत्यापित कराया जाना आवश्यक है।

6. माननीय एन.जी.टी., प्रिंसिपल बेंच, नई दिल्ली द्वारा सत्येंद्र पाण्डेय विरूद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली एवं अन्य (ओरिजनल एप्लिकेशन नं. 186 ऑफ 2016 एवं अन्य) में दिनांक 13/09/2018 को पारित आदेश में मुख्य रुप से निम्नानुसार निर्देशित किया गया है:–

   a) Providing for EIA, EMP and therefore, Public consultation for all areas from 5 to 25 ha. falling under category B-2 at par with category B-1 by SEAC / SEIAA as well as for cluster situation where ever it is not provided.

   b) If a cluster or an individual lease size exceed 5 ha. EIA / EMP be made applicable in the process of grant of prior environment clearance.

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुयार निर्णय लिया गया:–

1. माईन लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर चौड़े सेफ्टी जोन के कुछ भाग में किये गये उत्खनन के कारण इस क्षेत्र के उपचारी उपायों (Remedial Measures) के संबंध में तथा लीज क्षेत्र के अंदर माईनिंग क्रियाकलापों के कारण उत्पन्न प्रदूषण नियंत्रण हेतु आवश्यक उपायों यथा वृक्षारोपण आदि के लिये समुचित उपायों को क्रियान्वित कराने बाबत् संचालक, संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म, इंद्रावती भवन, नवा रायपुर अटल नगर, जिला–रायपुर (छत्तीसगढ़) को लेख किया जाए।

2. प्रतिबंधित 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी में अवैध उत्खनन किया जाना पाये जाने पर जाँच उपरांत नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही किये जाने हेतु संचालक, संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म को एवं पर्यावरण को क्षति पहुंचाने हेतु छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, नवा रायपुर अटल नगर को नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही किये जाने हेतु लेख किया जाए।

3. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तो के अनुरूप निर्धारित शर्तानुसार वृक्षारोपण करते हुए पौधों में संख्यांकन (Numbering) एवं पौधे के नाम का उल्लेख किया जाकर फोटोग्राफ्स सहित जानकारी एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ में आवश्यक रूप से प्रस्तुत करने की शर्त के अधीन पर्यावरणीय स्वीकृति की सशर्त अनुशंसा की जाती है।

4. परियोजना प्रस्तावक द्वारा मिनरल्स कनसेशन नियम (Minerals Conssesion Rule) के तहत् बाउण्ड्री पिल्लर्स द्वारा सीमाकंन का कार्य सुनिश्चित किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) को एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ में आवश्यक रूप से प्रस्तुत करने की शर्त के अधीन पर्यावरणीय स्वीकृति की सशर्त अनुशंसा की जाती है।

5. महानदी एवं राष्ट्रीय राजमार्ग की लीज क्षेत्र से वास्तविक दूरी के संबंध में खनिज विभाग से प्रमाणित जानकारी को एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ में आवश्यक रूप से प्रस्तुत करने की शर्त के अधीन पर्यावरणीय स्वीकृति की सशर्त अनुशंसा की जाती है।

6. मेसर्स गुरूदेव स्टोन क्वारी (प्रो.– श्री मुकेश जैन) को ग्राम–पारागांव, तहसील–आरंग, जिला–रायपुर के खसरा क्रमांक 1859(पार्ट) में स्थित फर्शी पत्थर (गौण खनिज) खदान, कुल क्षेत्रफल–0.96 हेक्टेयर, क्षमता–9,030 टन प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति दिए जाने की अनुशंसा की गई।

प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार – उपरोक्त प्रकरण पर प्राधिकरण की दिनांक 26/06/2024 को संपन्न 174वीं बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा नस्ती का अवलोकन किया गया।

प्राधिकरण द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गयाः–

1. समिति की अनुशंसा को स्वीकार करते हुये आवेदक – मेसर्स गुरूदेव स्टोन क्वारी (प्रो.– श्री मुकेश जैन) को निम्नानुसार अतिरिक्त शर्तों के अधीन पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने का निर्णय लिया गयाः–

   i. लीज जारी होने के पश्चात् 7.5 मीटर की सीमा पट्टी में तीन पंक्तियों में पौधों का रोपण कर, पौधों का नामांकन एवं संख्यांकन कर जियोटेग फोटोग्राफ्स सहित अर्धवार्षिक रिपोर्ट में समाहित करते हुये एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ को प्रेषित किया जाए।

ii. सी.ई.आर. के तहत् तथा 7.5 मीटर की चौड़ी सीमा पट्टी में किये जाने वाले वृक्षारोपण का सत्यापन वन विभाग के सक्षम अधिकारी अथवा वन विभाग द्वारा वृक्षारोपण के सत्यापन हेतु अधिकृत संस्थाओं (थर्ड पार्टी) से अनुमोदन कराकर अर्धवार्षिक रिपोर्ट में समाहित करते हुये एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ को प्रेषित किया जाए।

iii. सी.ई.आर. के अंतर्गत पवित्र वन निर्माण के तहत् किये जाने वाले कार्य के सत्यापन हेतु जियोटेग फोटोग्राफ्स सहित अर्धवार्षिक रिपोर्ट में समाहित करते हुये एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ को प्रेषित किया जाए।

iv. खनिज का परिवहन कव्हर्ड वाहन से किया जाए, ताकि खनिज वाहन से बाहर नहीं गिरे। खनिज का परिवहन कर रहे वाहनों को क्षमता से अधिक नहीं भरा जाना सुनिश्चित किया जाए।

v. सी.ई.आर. एवं वृक्षारोपण कार्य के मॉनिटरिंग एवं पर्यवेक्षण हेतु त्रि–सदस्यीय समिति (प्रोपराईटर/प्रतिनिधि, ग्राम पंचायत के पदाधिकारी/प्रतिनिधि एवं जिला प्रशासन या छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल के पदाधिकारी/प्रतिनिधि) गठित किया जाए। साथ ही सी.ई.आर. एवं वृक्षारोपण का कार्य पूर्ण किये जाने के उपरांत गठित त्रि–सदस्यीय समिति से सत्यापित कराया जाए।

साथ ही समिति द्वारा निहित किये गये शर्तों का पालन सुनिश्चित नहीं किये जाने की स्थिति में विधिवत् वैधानिक एवं दण्डात्मक कार्यवाही की जाएगी।

2. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तो के अनुरूप निर्धारित शर्तानुसार वृक्षारोपण करते हुए पौधों में संख्यांकन (Numbering) एवं पौधे के नाम का उल्लेख किया जाकर फोटोग्राफ्स सहित जानकारी प्रस्तुत किये जाने के उपरांत परियोजना प्रस्तावक को सशर्त पर्यावरणीय स्वीकृति पत्र जारी किया जाए।

3. परियोजना प्रस्तावक द्वारा मिनरल्स कनसेशन नियम (Minerals Conssesion Rule) के तहत् बाउण्ड्री पिल्लर्स द्वारा सीमाकंन का कार्य सुनिश्चित किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किये जाने के उपरांत परियोजना प्रस्तावक को सशर्त पर्यावरणीय स्वीकृति पत्र जारी किया जाए।

4. महानदी एवं राष्ट्रीय राजमार्ग की लीज क्षेत्र से वास्तविक दूरी के संबंध में खनिज विभाग से प्रमाणित जानकारी प्रस्तुत किये जाने के उपरांत परियोजना प्रस्तावक को सशर्त पर्यावरणीय स्वीकृति पत्र जारी किया जाए।

तदानुसार एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 08/08/2024 के परिपेक्ष्य में परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिनांक 11/04/2025 को जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किया गया।

(स) समिति की 756वीं बैठक दिनांक 26/02/2026:

समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी/दस्तावेज का अवलोकन एवं परीक्षण कर पाया गया कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिनांक 11/04/2025 को प्रस्तुत जानकारी/दस्तावेज प्राधिकरण की 174वीं बैठक दिनांक 26/06/2024 में चाही गई संदर्भ में प्रस्तुत किया गया है जो त्रुटिवश समिति के समक्ष रखा गया है। **अतः समिति**

द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से आवेदित प्रकरण को एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ को प्रेषित किये जाने की अनुशंसा की गई।

राज्य स्तर पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ को तदानुसार सूचित किया जाए।

3. **मेसर्स नवागांव भावगीर आर्डिनरी स्टोन क्वारी (प्रो.– श्री मोहम्मद रफिक), ग्राम–नवागांव भावगीर, तहसील व जिला–कांकेर (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 2433)**

ऑनलाईन आवेदन – प्रपोजल नम्बर – एसआईए/ सीजी/ एमआईएन/ 429809/2023, दिनांक 19/05/2023 द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन किया गया है।

प्रस्ताव का विवरण – यह पूर्व से संचालित साधारण पत्थर (गौण खनिज) खदान है। खदान ग्राम–नवागांव भावगीर, तहसील व जिला–कांकेर स्थित खसरा क्रमांक 54, कुल क्षेत्रफल–2 हेक्टेयर में है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता–26,169 टन प्रतिवर्ष है।

वर्तमान में माननीय एनजीटी, प्रिंसिपल बेंच, नई दिल्ली द्वारा ओ.ए. कमांक 142/2022 में पारित आदेश दिनांक 07/12/2022 द्वारा आदेशित किया गया है कि "mining lease in which environmental clearance was granted by DEIAA in view of amendment notification dated 15/01/2016 are still continuing even after passing of order dated 13/09/2018 by this Tribunal in Satendra Pandey (supra) and issuance of OM dated 12/12/2018 by MoEF&CC without any re-appraisal by SEIAA and appropriate remedial action on the basis of such re-appraisal. All such mining leases in which environmental clearance was granted by DEIAA need to be brought in consonance with the directions given by Hon'ble Supreme Court in Deepak Kumar (supra) and order dated 13/09/2018 by this Tribunal in Satendra Pandey (supra) by re-appraisal granted environmental clearance by SEIAA. MoEF&CC is, therefore, directed to take appropriate steps for compliance in this regard by issuance of requisite directions in exercise of the statutory powers under the Environment (Protection) Act, 1986".

उपरोक्त के पालनार्थ भारत सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा ऑफिस मेमोरेण्डम दिनांक 28/04/2023 जारी किया गया है, जिसके पैरा 4 अनुसार "The matter has been examined in the Ministry and accordingly it has been decided that all valid ECs issued by DEIAA shall be reappraised through SEAC/SEIAA in compliance to the order of the Hon'ble NGT in O.A.142 of 2022. In view of above, it is hereby directed that all concerned SEACs shall re-appraise the ECs issued by DEIAAs between 15.01.2016 and 13.09.2018 (including both dates) and all fresh ECs in this regard shall be granted only by SEIAAs based on such appraisal. The exercise shall be completed within a time period of one year from the date of issue of this OM. DEIAAs shall transfer all such files where ECs have been granted to concerned SEIAA within a time period of one month from issue of this OM."

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 06/07/2023 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठकों का विवरण –

(अ) समिति की 474वीं बैठक दिनांक 13/07/2023:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री मोहम्मद रफिक, प्रोपराईटर उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:–

1. **पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण:–**

    i. पूर्व में साधारण पत्थर खदान खसरा क्रमांक 54, कुल क्षेत्रफल–2 हेक्टेयर, क्षमता–250 घनमीटर प्रतिवर्ष हेतु राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, जिला–रायपुर द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति दिनांक 12/06/2015 को जारी की गई। यह स्वीकृति जारी दिनांक से दिनांक 15/10/2015 तक वैध थी। तत्पश्चात् दिनांक 26/12/2016 को जिला स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, जिला– उत्तर बस्तर कांकेर द्वारा उत्खनन क्षमता– 26,169 टन प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति जारी की गई। यह स्वीकृति उत्खनिपट्टा अवधि तक (विस्तारित अवधि तक) की अवधि हेतु जारी की गई।

    ii. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तो के पालन में की गई कार्यवाही की जानकारी प्रस्तुत नहीं की गई है। समिति का मत है कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, रायपुर से पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति का पालन प्रतिवेदन प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

    iii. निर्धारित शर्तानुसार वृक्षारोपण नहीं किया गया है।

    iv. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला– उत्तर बस्तर कांकेर के ज्ञापन क्रमांक 1395/खलि–1/उ.प./न.क्र./2023 उ.ब. कांकेर, दिनांक 10/07/2023 द्वारा विगत वर्षों में किये गये उत्खनन की जानकारी निम्नानुसार है:–

वर्ष	उत्पादन (टन)
2018–19	1,085
2019–20	268
2020–21	2,012
2021–22	111
2022–23	964

2. भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी ऑफिस मेमोरेण्डम दिनांक 28/04/2023 के अनुक्रम में राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण, छत्तीसगढ़ के ज्ञापन पृ. क्र. 433/एस.ई.आई.ए.ए., छ.ग. नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 22/05/2023 के द्वारा संचालक, संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म, इन्द्रावती भवन, नवा रायपुर अटल नगर को डी.ई.आई.ए.ए. द्वारा जारी पर्यावरणीय स्वीकृति की नस्तियों को एस.ई.आई.ए.ए., छ.ग. में अविलम्ब प्रेषित किये जाने हेतु पत्र लेख किया गया है। डी.ई.आई.ए.ए. द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु विचार किये गये आवेदित खदान से संबंधित नस्ती इस कार्यालय में आज दिनांक तक अप्राप्त है। अतः कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–उत्तर–बस्तर–कांकेर को पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु विचार किये गये आवेदित

खदान से संबंधित नस्ती को इस कार्यालय में अविलम्ब प्रेषित किये जाने हेतु पत्र लेख किया जाना आवश्यक है।

3. **ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – उत्खनन के संबंध में ग्राम पंचायत नवागांव भावगीर का दिनांक 09/02/2022 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।

4. **उत्खनन योजना** – क्वारी प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो खनि अधिकारी, जिला–दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा के ज्ञापन क्रमांक 1899/खनिज/2016 दंतेवाड़ा, दिनांक 28/03/2016 द्वारा अनुमोदित है।

5. **500 मीटर की परिधि में स्थित खदान** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–उत्तर बस्तर कांकेर के ज्ञापन क्रमांक 997/खनिज/ख.लि./उ.प./2023–24 कांकेर, दिनांक 18/05/2023 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित अन्य खदानों की संख्या निरंक है।

6. **200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/संरचनाए** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–उत्तर बस्तर कांकेर के ज्ञापन क्रमांक 999/खनिज/ख.लि./उ.प./2023–24 कांकेर, दिनांक 18/05/2023 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान से 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे स्कूल, मंदिर, राष्ट्रीय राजमार्ग, राज्यमार्ग, पुल एवं एनीकट आदि प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित नहीं है। मनकेशरी डैम Catchment लगभग 50 मीटर की दूरी पर है।

7. **भूमि एवं लीज का विवरण** – यह शासकीय भूमि है। लीज श्री मो. रफीक के नाम पर है। लीज डीड 30 वर्षों अर्थात् दिनांक 06/02/2008 से 05/02/2038 तक की अवधि हेतु वैध है।

8. **डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट** – वर्ष 2019 की डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।

9. **वन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – कार्यालय वन मण्डलाधिकारी (सामान्य) वनमण्डल, जिला–कांकेर के ज्ञापन क्रमांक/मा.चि./2009/2684 कांकेर, दिनांक 28/07/2009 से जारी प्रमाण पत्र अनुसार आवेदित क्षेत्र के समीप आरक्षित वन लगा हुआ है एवं आवेदित क्षेत्र में 67 नग मिश्रित प्रजाति के वृक्ष है। कार्यालय वन मण्डलाधिकारी (सामान्य) वन मण्डल, कांकेर द्वारा अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। समिति का मत है कि वन विभाग से वन क्षेत्र से खदान की दूरी का उल्लेख करते हुये अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है। परियोजना प्रस्तावक को प्रस्तुतीकरण के दौरान स्पष्ट बताया गया कि वन क्षेत्र से निर्धारित दूरी से अधिक दूरी पर खदान होने से ही प्रकरण पर विचार किया जाएगा।

10. **महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी** – निकटतम आबादी ग्राम–नवागांव भावगीर 1.5 कि.मी., स्कूल ग्राम–नवागांव भावगीर 1.5 कि.मी. एवं अस्पताल कांकेर 3.5 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 7 कि.मी. दूर है। दूध नदी 500 मीटर एवं मनकेशरी बांध 50 मीटर दूर है।

11. **पारिस्थितिकीय/जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्जीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण

नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्युटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।

12. **खनन संपदा एवं खनन का विवरण** – जियोलॉजिकल रिजर्व 13,00,000 टन, माईनेबल रिजर्व 9,04,939 टन एवं रिकव्हरेबल रिजर्व 8,14,445 टन है। लीज की 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी (उत्खनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र) का क्षेत्रफल 4,207.5 वर्गमीटर है। ओपन कास्ट सेमी मैकेनाईज्ड विधि से उत्खनन किया जाता है। उत्खनन की प्रस्तावित अधिकतम गहराई 25 मीटर है। वर्तमान में लीज क्षेत्र के भीतर ऊपरी मिट्टी अवस्थित नहीं है। बेंच की ऊंचाई 1.5 मीटर एवं चौडाई 1.5 मीटर है। खदान की संभावित आयु 15 वर्ष है। लीज क्षेत्र में क्रशर स्थापित है, जिसका क्षेत्रफल 1,000 वर्गमीटर है। जैक हैमर से ड्रिलिंग एवं कंट्रोल ब्लास्टिंग किया जाता है। खदान में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु जल का छिड़काव किया जाता है। वर्षवार प्रस्तावित उत्खनन का विवरण निम्नानुसार है:–

वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन (टन)	वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन (टन)
प्रथम	5,668.0	षष्टम	15,444.0
द्वितीय	10,202.4	सप्तम	24,230.7
तृतीय	13,260.0	अष्ठम	25,006.8
चर्तुथ	17,238.0	नवम	26,169.0
पंचम	7,468.0	दशम	9,256.0

13. ओव्हर बर्डन की मात्रा 90,493.92 टन है, जिसमें से आवश्यकतानुसार ओव्हर बर्डन का उपयोग पहुँच मार्ग के रख–रखाव में किया जाएगा एवं शेष ओव्हर बर्डन को विक्रय किया जाएगा।

14. **जल आपूर्ति** – परियोजना हेतु आवश्यक जल की मात्रा 5 घनमीटर प्रतिदिन होती है। जल की आपूर्ति भू–जल के माध्यम से की जाती है। इस बाबत् सेंट्रल ग्राउंड वॉटर अथॉरिटी का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।

15. **वृक्षारोपण कार्य** – लीज क्षेत्र की सीमा में चारों ओर 7.5 मीटर की पट्टी में 840 नग वृक्षारोपण किया जाएगा। प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार पौधों के लिए राशि 58,800 रूपये, फेंसिंग के लिए राशि 2,40,700 रूपये, खाद के लिए राशि 8,400 रूपये, सिंचाई के लिए राशि 1,20,000 रूपये, रख–रखाव आदि के लिए राशि 56,000 रूपये, इस प्रकार कुल राशि 4,83,900 रूपये प्रथम वर्ष हेतु एवं रख–रखाव हेतु कुल राशि 6,50,880 रूपये आगामी चार वर्षों हेतु घटकवार व्यय का विवरण प्रस्तुत किया गया है।

16. **खदान की 7.5 मीटर की चौड़ी सीमा पट्टी में उत्खनन** – प्रस्तुतीकरण के दौरान समिति के संज्ञान में यह आया कि लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर की सीमा पट्टी में उत्तर दिशा में उत्खनन कार्य किया गया है। प्रतिबंधित 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी में उत्खनन किया जाना पर्यावरणीय स्वीकृति की शर्तों का उल्लघंन है। साथ ही परियोजना प्रस्तावक उक्त उत्खनित क्षेत्र को माईनिंग में समाहित करते हुये संशोधित माईनिंग प्लान प्रस्तुत नहीं किया गया है। समिति का मत है कि प्रतिबंधित 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी में अवैध उत्खनन किया जाना पाये जाने पर परियोजना प्रस्तावक के विरूद्ध नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही किया जाना आवश्यक है।

17. उल्लेखनीय है कि भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा नॉन कोल माईनिंग प्रोजेक्ट्स हेतु मानक पर्यावरणीय शर्तें जारी की गई है। शर्त क्रमांक VIII (i) के अनुसार:–

"The Project Proponent shall develop greenbelt in 7.5m wide safety zone all along the mine lease boundary as per the guidelines of CPCB in order to arrest pollution emanating from mining operations within the lease. The whole green belt shall be developed within first 5 years starting from windward side of the active mining area. The development of greenbelt shall be governed as per the EC granted by the Ministry irrespective of the stipulation made in approved mine plan."

उक्त मानक शर्त के अनुसार माईन लीज क्षेत्र के अंदर 7.5 मीटर चौड़े सेफ्टी जोन में वृक्षारोपण किया जाना आवश्यक है।

18. **कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.)** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु समिति के समक्ष विस्तार से चर्चा उपरांत निम्नानुसार विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है:–

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)
40	2%	0.80	Following activities at, Government Primary School at, **Village- Navagaon Bhavgir**	
			Plantation	1.34
			Total	**1.34**

19. सी.ई.आर. के तहत् स्कूल परिसर में वृक्षारोपण (नीम, आम, जामुन, कदंब, पीपल आदि) हेतु प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार 100 नग पौधों के लिए राशि 5,000 रूपये, खाद के लिए राशि 1,000 रूपये, सिंचाई तथा रख–रखाव आदि के लिए राशि 29,000 रूपये, इस प्रकार प्रथम वर्ष में कुल राशि 35,000 रूपये तथा आगामी 4 वर्ष में कुल राशि 99,600 रूपये हेतु घटकवार व्यय का विवरण प्रस्तुत किया गया है।

20. सी.ई.आर. के तहत् प्रस्तावित स्कूल के प्राचार्य (Principal) का सहमति पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है।

21. समिति द्वारा निम्नानुसार तथ्य पाये गये:–

i. खनिज विभाग द्वारा जारी 200 मीटर प्रमाण पत्र अनुसार मनकेशरी डैम Catchment लगभग 50 मीटर की दूरी पर है। माईनिंग प्लान अनुसार खदान में ब्लास्टिंग का उल्लेख है।

छत्तीसगढ़ शासन, खनिज साधन विभाग, मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 27/03/2015 के अध्याय–दो के बिन्दु क्रमांक 5(ग) के अनुसार "जो किसी पुल, राष्ट्रीय या राज्य राजमार्ग, रेलपथ से, सभी दिशाओं में, 100 मीटर की दूरी के भीतर" का उल्लेख है। डैम अत्यन्त महत्वपूर्ण संरचना है।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत के.एम.एल. फाईल के माध्यम से गूगल अर्थ से अवलोकन करने पर डैम से 50 मीटर पर उत्खनन पाया गया तथा लीज के बाहर डैम की तरफ भी उत्खनन किया जाना पाया गया है। साथ ही लीज सीमा के चारो ओर 7.5 मीटर (प्रतिबंधित क्षेत्र) की चौडी सीमा पट्टी में बांध की तरफ भी उत्खनन कार्य किया गया है।

ii. के.एम.एल. फाईल के माध्यम से गूगल अर्थ से अवलोकन करने पर समिति द्वारा पाया गया कि क्रशर का अधिकांश भाग लीज क्षेत्र के बाहर स्थापित है एवं कुछ भाग लीज क्षेत्र के भीतर 7.5 मीटर (प्रतिबंधित क्षेत्र) की चौडी सीमा पट्टी में स्थापित है। जबकि माईनिंग प्लान अनुसार 7.5 मीटर (प्रतिबंधित क्षेत्र) की चौडी सीमा पट्टी को छोड़कर क्रशर को लीज क्षेत्र के भीतर स्थापित किया जाना था।

उपरोक्त दोनो बिन्दुओं से यह स्पष्ट है कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा नियमों का पालन नहीं किया जा रहा है और न ही माईनिंग प्लान एवं जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तों का पालन सुनिश्चित किया जा रहा है।

iii. कार्यालय वन मण्डलाधिकारी (सामान्य) वनमण्डल, जिला–कांकेर के प्रमाण पत्र अनुसार आवेदित क्षेत्र के समीप आरक्षित वन लगा हुआ है एवं आवेदित क्षेत्र में 67 नग मिश्रित प्रजाति के वृक्ष है। कार्यालय वन मण्डलाधिकारी (सामान्य) वन मण्डल, कांकेर द्वारा अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। समिति का मत है कि आवेदित क्षेत्र में उत्खनन हेतु वन विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र (वन क्षेत्र से खदान की दूरी संबंधी जानकारी का उल्लेख) प्राप्त किया गया है अथवा नहीं? यह स्पष्ट नहीं है।

iv. खदान से मनकेशरी डैम लगभग 50 मीटर की दूरी पर है एवं माईनिंग प्लान अनुसार खदान में ब्लास्टिंग का उल्लेख है। समिति का मत है कि डैम की सुरक्षा के दृष्टिकोण से उक्त स्थल में ब्लास्टिंग करने हेतु डी.जी.एम.एस. से अनुमति प्राप्त किया गया अथवा नहीं? यह स्पष्ट नहीं है। साथ ही आवेदित क्षेत्र में ब्लास्टिंग से डैम को क्षति होगी अथवा नहीं? के संबंध में कोई स्टडी कराई गई है अथवा नहीं? यह स्पष्ट नहीं है।

समिति का यह भी मत है कि उक्त तथ्यों के परिपेक्ष्य में जल संसाधन विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त किया गया है अथवा नहीं? यह भी स्पष्ट नहीं है।

v. समिति का मत है कि मनकेशरी डैम का डूबान क्षेत्र के संबंध में जानकारी जल संसाधन विभाग से लिया जाना आवश्यक है।

22. खदान में सुरक्षा के दृष्टि से कंट्रोल ब्लास्टिंग किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

23. छत्तीसगढ़ आदर्श पुनर्वास नीति के तहत् स्थानीय लोगों को रोजगार दिये जाने हेतु शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

24. पर्यावरण सुरक्षा के दृष्टि से लीज क्षेत्र के बाहर प्रस्तावित क्षेत्र एवं पहुंच मार्ग के किनारे यथासंभव वृक्षारोपण किये जाने एवं रोपित पौधों का सरवाईवल रेट

(Survival rate) 90 प्रतिशत सुनिश्चित किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

25. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनिज नियमों के तहत् बाउण्ड्री पिल्लर्स द्वारा सीमाकंन का कार्य सुनिश्चित किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

26. परियोजना प्रस्तावक द्वारा किसी भी प्रकार का दूषित जल का प्रवाह प्राकृतिक जल स्त्रोत, तालाब, नदी, नाला में नहीं किये जाने एवं इसके संरक्षण किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

27. परियोजना प्रस्तावक द्वारा इस आशय का शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है कि उनके विरूद्ध इस खदान से संबंधित कोई न्यायालयीन प्रकरण देश के अंतर्गत किसी भी न्यायालय में लंबित नहीं है।

28. परियोजना प्रस्तावक द्वारा इस आशय का नोटरी से सत्यापित शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है कि उसके विरूद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना का.आ. 804(अ), दिनांक 14/03/2017 के अंतर्गत कोई उल्लंघन का प्रकरण लंबित नहीं है।

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया था कि:-

1. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-उत्तर-बस्तर-कांकेर को पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु विचार किये गये आवेदित खदान से संबंधित नस्ती को इस कार्यालय में अविलम्ब प्रेषित किये जाने हेतु पत्र लेख किया जाए।

2. एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, रायपुर से पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति का पालन प्रतिवेदन प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाए।

3. परियोजना प्रस्तावक द्वारा नियमों का पालन नहीं किया जा रहा है और न ही माईनिंग प्लान एवं जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तों का बिन्दुवार पालन सुनिश्चित किया गया। अतः उक्त के संबंध में स्पष्टीकरण प्रस्तुत किया जाए।

4. आवेदित क्षेत्र में उत्खनन हेतु वन विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त किया गया है अथवा नहीं? यह स्पष्ट नहीं है। अतः उक्त के संबंध में स्पष्टीकरण प्रस्तुत किया जाए। यदि परियोजना प्रस्तावक द्वारा वन क्षेत्र से खदान की दूरी का उल्लेख करते हुये अनापत्ति प्रमाण पत्र पूर्व में प्राप्त नहीं किया गया है तो अब उक्त प्रमाण पत्र वनमण्डलाधिकारी से प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाए।

5. आवेदित क्षेत्र में 67 नग मिश्रित प्रजाति के वृक्ष खड़े है, उनकी वर्तमान स्थिति के संबंध में स्पष्ट प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जाए।

6. खदान से मनकेशरी डैम लगभग 50 मीटर की दूरी पर है एवं माईनिंग प्लान अनुसार खदान में ब्लास्टिंग का उल्लेख है। डैम की सुरक्षा के दृष्टिकोण से उक्त स्थल में ब्लास्टिंग करने हेतु डी.जी.एम.एस. से अनुमति प्राप्त किया गया अथवा नहीं? यह स्पष्ट नहीं है। साथ ही आवेदित क्षेत्र में ब्लास्टिंग से डैम को क्षति होगी अथवा नहीं? के संबंध में कोई स्टडी कराई गई है अथवा नहीं? यह स्पष्ट नहीं है। उक्त तथ्यों के परिपेक्ष्य में जल संसाधन विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त किया

गया है अथवा नहीं? यह भी स्पष्ट नहीं है। अतः उक्त के संबंध में स्पष्टीकरण प्रस्तुत किया जाए।

7. मनकेशरी डैम का डूबान क्षेत्र के संबंध में जानकारी जल संसाधन विभाग से लिया जाए।

8. लीज सीमा से निकटतम वन क्षेत्र की वास्तविक दूरी संबंधी जानकारी, वन विभाग से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाए।

9. माईन लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर चौड़े सेफ्टी जोन के कुछ भाग में किये गये उत्खनन के कारण इस क्षेत्र के उपचारी उपायों (Remedial Measures) के संबंध में तथा लीज क्षेत्र के अंदर माईनिंग क्रियाकलापों के कारण उत्पन्न प्रदूषण के नियंत्रण हेतु आवश्यक उपायों यथा वृक्षारोपण आदि के लिये समुचित उपायों बाबत् संचालक, संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म, इंद्रावती भवन, नवा रायपुर अटल नगर, जिला – रायपुर (छत्तीसगढ़) को पत्र लेख किया जाए।

10. प्रतिबंधित 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी में अवैध उत्खनन पाये जाने पर नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही किये जाने हेतु संचालक, संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म एवं पर्यावरण को क्षति पहुंचाने हेतु छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, नवा रायपुर अटल नगर को आवश्यक कार्यवाही किये जाने हेतु लेख किया जाए।

11. खदान से जनित ओव्हर बर्डन को नियमानुसार खनिज विभाग एवं छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल से अनुमति प्राप्त किये जाने के पश्चात् विक्रय किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए।

12. सी.ई.आर. के तहत् प्रस्तावित स्कूल के प्राचार्य (Principal) का सहमति पत्र प्रस्तुत किया जाए।

13. परियोजना से जिन–जिन स्थलों से फ्युजिटिव डस्ट उत्सर्जन होगा, उन स्थलों पर नियमित जल छिड़काव की व्यवस्था किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए।

14. माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिनांक 02/08/2017 को common cause vs. Union of India writ petition (C) 114 of 214 में दिये गये निर्देश का पालन किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए।

15. माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिनांक 08/01/2020 को writ petition (S) Civil No.114 /2014 common cause vs. Union of India & Ors. में दिये गये दिशा निर्देशों का पालन किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए।

उपरोक्त वांछित जानकारी/दस्तावेज प्राप्त होने उपरांत आगामी कार्यवाही की जाएगी।

तदानुसार एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 05/10/2023 के परिपेक्ष्य में परियोजना प्रस्तावक द्वारा जानकारी/दस्तावेज दिनांक 26/12/2023 को प्रस्तुत किया गया है।

(ब) समिति की 510वीं बैठक दिनांक 30/01/2024:

समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:–

1. एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, रायपुर से पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति का पालन प्रतिवेदन प्राप्त किये जाने हेतु ई–मेल के माध्यम से अनुरोध किया गया है। साथ ही छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल, नवा रायपुर अटल नगर को भी पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति का पालन प्रतिवेदन हेतु दिनांक 22/06/2023 के माध्यम से अनुरोध किया गया है, जिसके परिपेक्ष्य में जानकारी आज दिनांक तक अप्राप्त है।

2. परियोजना प्रस्तावक द्वारा नियमों का पालन नहीं किया जा रहा है और न ही माईनिंग प्लान एवं जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तों का बिन्दुवार पालन सुनिश्चित किये जाने के संबंध में परियोजना प्रस्तावक का कथन है कि खनन कार्य अनुमोदित माईनिंग प्लान के अनुसार किया गया एवं समय–समय पर खनि निरीक्षक एवं माईनिंग अधिकारी इसका जाँच किया करते हैं। जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तो का बिन्दुवार पालन यथासंभव प्रयास किया गया एवं भविष्य में किया जावेगा। पूर्व में जारी पर्यावरण स्वीकृति का पालन प्रतिवेदन की स्व–प्रमाणित प्रति प्रस्तुत की गई है।

3. कार्यालय वन मण्डलाधिकारी, कांकेर वन मण्डल, जिला–कांकेर के ज्ञापन क्रमांक/मा.चि./2023/5218 कांकेर, दिनांक 21/07/2023 से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र में उल्लेखित तथ्य निम्नानुसार है:–
   - आवेदित क्षेत्र आरक्षित/संरक्षित एवं असीमांकित वनखंड नहीं है।
   - आवेदित क्षेत्र में 67 नग मिश्रित प्रजाति के खड़े वृक्ष है।
   - आवेदित क्षेत्र के समीप आरक्षित वन कक्ष क्रमांक 29 लगा हुआ है।
   - आवेदित क्षेत्र वनभूमि के अंतर्गत नहीं आता है।

4. आवेदित क्षेत्र में 67 नग मिश्रित प्रजाति के वृक्ष खड़े है, उनकी वर्तमान स्थिति के संबंध में कार्यालय वन मण्डलाधिकारी, कांकेर वनमण्डल, जिला–कांकेर के दिनांक 21/07/2023 से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।

5. खदान से मनकेशरी डैम लगभग 50 मीटर की दूरी पर है एवं माईनिंग प्लान अनुसार खदान में ब्लास्टिंग का उल्लेख है एवं कंट्रोल ब्लास्टिंग किया जाता है जो की साधारण ब्लास्टिंग है इसके लिए डीजीएमएस से अनुमति की आवश्यकता नहीं होती है, यदि ब्लास्टिंग या उत्पादन का स्तर एवं खनन की गहराई ज्यादा हो तो डीजीएमएस से अनुमति आवश्यक होती हैं। आवेदित क्षेत्र में ब्लास्टिंग से डैम को क्षति होगी अथवा नहीं, इस संबंध में कार्यालय कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग कांकेर, जिला–उत्तर बस्तर कांकेर के ज्ञापन क्रमांक 810, दिनांक 15/03/2023 के अनुसार "केशर प्लांट लगभग 16 वर्ष से संचालित है। चूंकि वर्तमान खुदाई बांध के विरुद्ध दिशा में किया जा रहा है। परिस्थितियों को देखते हुए बांध के सुरक्षा दृष्टिगत् क्रेशर प्लांट से कोई खतरा प्रतीत नही हो रहा है।" का उल्लेख है।

6. खदान से जनित ओव्हर बर्डन को नियमानुसार खनिज विभाग एवं छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल से अनुमति प्राप्त किये जाने के पश्चात् विक्रय किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

7. सी.ई.आर. के तहत् प्रस्तावित स्कूल के प्राचार्य (Principal) का सहमति पत्र प्रस्तुत किया गया है।

8. परियोजना से जिन–जिन स्थलों से फ्युजिटिव डस्ट उत्सर्जन होगा, उन स्थलों पर नियमित जल छिड़काव की व्यवस्था किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

9. माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिनांक 02/08/2017 को common cause vs. Union of India writ petition (C) 114 of 2014 में दिये गये निर्देश का पालन किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

10. माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिनांक 08/01/2020 को writ petition (S) Civil No.114 /2014 common cause vs. Union of India & Ors. में दिये गये दिशा निर्देशों का पालन किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत नहीं किया गया है।

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया था:–

1. एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, रायपुर अथवा छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल, नवा रायपुर अटल नगर से पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति का पालन प्रतिवेदन प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाए।

2. आवेदित क्षेत्र के समीप आरक्षित वन कक्ष क्रमांक 29 लगा हुआ है। अतः लीज क्षेत्र में वन क्षेत्र की सीमा की तरफ 250 मीटर गैर माईनिंग क्षेत्र छोड़कर उत्खनन कार्य किये जाने तथा आगामी वर्षों की वर्षवार उत्खनन योजना हेतु तैयार किये जाने वाले माईनिंग स्कीम में 250 मीटर गैर माईनिंग क्षेत्र छोड़कर संशोधित अनुमोदित माईनिंग प्लान प्रस्तुत किया जाए।

3. लीज सीमा से निकटतम राष्ट्रीय उद्यान/अभ्यारण्य की वास्तविक दूरी संबंधी जानकारी, वन विभाग से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाए।

4. माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिनांक 08/01/2020 को writ petition (S) Civil No.114 /2014 common cause vs. Union of India & Ors. में दिये गये दिशा निर्देशों का पालन किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए।

उपरोक्त वांछित जानकारी/दस्तावेज प्राप्त होने उपरांत आगामी कार्यवाही की जाएगी।

एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ की 510वीं बैठक दिनांक 30/01/2024 के परिपेक्ष्य में परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिनांक 04/06/2025 को जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किया गया।

(द) समिति की 645वीं बैठक दिनांक 04/06/2025:

समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:–

1. भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के ऑफिस मेमोरेण्डम दिनांक 08/06/2022 में क्षमता विस्तार के प्रकरणों हेतु सी.सी.आर. की आवश्यकता के संबंध में दिशा निर्देश जारी किया गया है। समिति द्वारा पाया गया कि आवेदित प्रकरण क्षमता विस्तार का नहीं है। अतः आवेदित प्रकरण हेतु सी.सी.आर. की आवश्यकता नहीं है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तों के पालन के संबंध में स्व–प्रमाणित प्रमाण पत्र (Self-compliance report) प्रस्तुत किया गया है।
2. परियोजना प्रस्तावक द्वारा मॉडिफाईड क्वारी प्लान, एलांग विथ माईन क्लोजर प्लान विथ इन्व्हायरोमेंट मैनेजमेंट प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो खनि अधिकारी, जिला–धमतरी के ज्ञापन क्रमांक 663–ए/ख.लि.3/स्था./2024 धमतरी, दिनांक 13/09/2024 द्वारा अनुमोदित है, जिसके अनुसार जियोलॉजिकल रिजर्व 10,85,656 टन, माईनेबल रिजर्व 6,30,747 टन एवं रिकव्हरेबल रिजर्व 6,24,754 टन है। लीज की 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी (उत्खनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र) का क्षेत्रफल 3,772 वर्गमीटर है। ओपन कास्ट सेमी मैकेनाईज्ड विधि से उत्खनन किया जाता है। उत्खनन की प्रस्तावित अधिकतम गहराई 25 मीटर है। वर्तमान में लीज क्षेत्र के भीतर ऊपरी मिट्टी अवस्थित नहीं है। बेंच की ऊंचाई 3 मीटर एवं चौड़ाई 3 मीटर है। खदान की संभावित आयु 28 वर्ष है। लीज क्षेत्र में क्रशर स्थापित है, जिसका क्षेत्रफल 1,742 वर्गमीटर है। जैक हैमर से ड्रिलिंग एवं कंट्रोल ब्लास्टिंग किया जाता है। खदान में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु जल का छिड़काव किया जाता है। वर्षवार प्रस्तावित उत्खनन का विवरण निम्नानुसार है:–

वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन (टन)
प्रथम	26,169
द्वितीय	26,169
तृतीय	26,169
चर्तुथ	26,169
पंचम	26,169

3. कार्यालय वनमण्डलाधिकारी कांकेर वनमण्डल, जिला–कांकेर के ज्ञापन क्रमांक/मा.चि./2024/788 कांकेर, दिनांक 05/02/2024 से जारी प्रमाण पत्र अनुसार आवेदित क्षेत्र वन क्षेत्र से 327 मीटर दूरी पर होने का उल्लेख है, जबकि पूर्व में कार्यालय वनमण्डलाधिकारी कांकेर वनमण्डल, जिला–कांकेर के ज्ञापन दिनांक 21/07/2023 को जारी प्रमाण पत्र अनुसार आवेदित क्षेत्र के समीप आरक्षित वन कक्ष क्रमांक 29 लगा होने का उल्लेख था। उक्त दोनों प्रमाण पत्रों की दूरी में भिन्नता है। अतः कार्यालय वनमण्डलाधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्रों की दूरी की भिन्नता के संबंध में स्पष्ट प्रतिवेदन प्राप्त किया जाना आवश्यक है।
4. लीज सीमा से निकटतम राष्ट्रीय उद्यान/अभ्यारण्य की वास्तविक दूरी संबंधी जानकारी, वन विभाग से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है।
5. माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिनांक 08/01/2020 को writ petition (S) Civil No.114 /2014 common cause vs. Union of India & Ors. में दिये गये दिशा निर्देशों का पालन किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

6. लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर की सीमा पट्टी में उत्तर दिशा में उत्खनन कार्य किया गया है। प्रतिबंधित 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी में उत्खनन किया जाना पर्यावरणीय स्वीकृति की शर्तों का उल्लघंन है। समिति का मत है कि प्रतिबंधित 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी में अवैध उत्खनन किया जाना पाये जाने पर परियोजना प्रस्तावक के विरूद्ध नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही किया जाना आवश्यक है।

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया था कि:–

1. लीज सीमा से निकटतम राष्ट्रीय उद्यान/अभ्यारण्य की वास्तविक दूरी संबंधी जानकारी, वन विभाग से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाए।
2. कार्यालय वनमण्डलाधिकारी कांकेर वनमण्डल, जिला–कांकेर के ज्ञापन क्रमांक/मा. चि./2024/788 कांकेर, दिनांक 05/02/2024 से जारी प्रमाण पत्र अनुसार आवेदित क्षेत्र वन क्षेत्र से 327 मीटर दूरी पर होने का उल्लेख है, जबकि पूर्व में कार्यालय वनमण्डलाधिकारी कांकेर वनमण्डल, जिला–कांकेर के ज्ञापन दिनांक 21/07/2023 को जारी प्रमाण पत्र अनुसार आवेदित क्षेत्र के समीप आरक्षित वन कक्ष क्रमांक 29 लगा होने का उल्लेख था। उक्त दोनों प्रमाण पत्रों की दूरी मे भिन्नता है। अतः जारी प्रमाण पत्रों की दूरी की भिन्नता के संबंध में कार्यालय वनमण्डलाधिकारी से स्पष्ट प्रतिवेदन प्राप्त किये जाने हेतु पत्र लेख किया जाए।
3. प्रतिबंधित 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी में अवैध उत्खनन पाये जाने पर नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही किये जाने हेतु संचालक, संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म को पत्र क्रमांक 1548, दिनांक 05/10/2023 एवं पर्यावरण को क्षति पहुंचाने हेतु छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, नवा रायपुर अटल नगर को पत्र 1547, दिनांक 05/10/2023 को लेख किया गया था, जो कि आज दिनांक तक अप्राप्त है। अतः उपरोक्त हेतु संचालक, संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म एवं छत्तीसगढ पर्यावरण संरक्षण मंडल, नवा रायपुर अटल नगर को पुनः स्मरण पत्र लेख किया जाए।

एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ की 645वीं बैठक दिनांक 04/06/2025 के परिपेक्ष्य में परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिनांक 11/11/2025 को जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किया गया।

(द) समिति की 756वीं बैठक दिनांक 26/02/2026:

समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:–

1. कार्यालय वनमण्डलाधिकारी कांकेर वनमण्डल, जिला–कांकेर के ज्ञापन क्रमांक/मा. चि./2025/5912 कांकेर, दिनांक 07/11/2025 से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र में निम्नानुसार उल्लेख किया गया है:–

   "1. लीज सीमा से निकटतम राष्ट्रीय उद्यान की दूरी 227 कि.मी. एवं अभ्यारण्य की दूरी 64 कि.मी. है।

   2. आवेदित क्षेत्र के समीप आरक्षित वनखण्ड आर.एफ. 29(पुराना)/नया आर.एफ. 71 स्थित है। दिनांक 21.07.2023 में वनमंडलाधिकारी की अनापत्ति के समीप की आरक्षित वन क्रमांक – 29 लगा हुआ है का उल्लेख किया गया है। क्यूंकि दूरी नापी नहीं गई थी। तद्पश्चात् पुनः वनमंडलाधिकारी से अनापत्ति प्रमाण पत्र क्रमांक/मा.चि./788/दिनांक 05.02.2024 को आवेदित स्थल से समीप के वनक्षेत्र

की दूरी नापी गई। जिसमें वनक्षेत्र की दूरी 327 मीटर पाया गया। इस प्रकार अलग–अलग अनापत्ति में भिन्नता का उल्लेख होना पाया गया।

3. आवेदित क्षेत्र कि निकटतम ग्राम की दूरी – 1.021 कि.मी. में है।"

2. प्रतिबंधित 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी में अवैध उत्खनन पाये जाने पर नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही किये जाने हेतु संचालक, संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म को पत्र क्रमांक 2021, दिनांक 15/09/2025 एवं पर्यावरण को क्षति पहुंचाने हेतु छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, नवा रायपुर अटल नगर को पत्र क्रमांक 2019, दिनांक 15/09/2025 को स्मरण पत्र लेख किया गया था। संचालक, संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म द्वारा पत्र क्रमांक 2646/खनि. 02/पर्या.स.–II/न.क्र. 08/2016 नवा रायपुर दिनांक 13/11/2025 के माध्यम से निम्नानुसार लेख किया गया है:–

"उल्लेखनीय होगा कि रि–अप्रेजल के अधिकतर प्रकरण में उत्खनिपट्टा तात्कालिन छ.ग. गौण खनिज नियम 1936 के तहत स्वीकृत किये गये है जिसमें उत्खनन योजना एवं खदान क्षेत्र के भीतर 7.5 मीटर की शेफ्टी जोन छाडे जाने का प्रावधान नहीं था जिसके फलस्वरुप पट्टेदारों के द्वारा खदान क्षेत्र की सीमा तक खनन कार्य किया गया है। उक्त सभी खदानों का छ.ग. गौण खनिज नियम, 2015 के नियम–38(क) के तहत मूल उत्खनिपट्टा अवधि से 30 वर्ष हेतु अवधि विस्तार किये गये है, जो कि वर्तमान में भी संचालित है।

गौण खनिज नियम, 2015 में संशोधनों के उपरांत उत्खनिपट्टों हेतु उत्खनन योजना तैयार किया गया तथा उसके पश्चात् स्वीकृत उत्खनिपट्टा क्षेत्र में 7.5 मीटर सेफ्टी जोन छोडने के प्रावधान किये गये है। अतः 2015 के पूर्व स्वीकृत खदानों में उक्त नियम के बंधनकारी नहीं होने के फलस्वरुप उक्त प्रकरणों में उल्लंघन की कार्यवाही प्रस्तावित नहीं की जा सकती है। गौण खनिज नियम, 2015 के तहत स्वीकृत – उत्खनिपट्टों में खदान क्षेत्र की सीमा से 7.5 मीटर के भीतर खनन पाये जाने पर ऐसे प्रकरणों में अनुबंध की शर्तों के उल्लंघन का प्रकरण दर्ज कर जिला अधिकारियों के द्वारा नियमनानुसार कार्यवाही की जा रही है।

स्वीकृत लीज क्षेत्र के बाहर पुराने उत्खनन के गढ्ढे अथवा तालाब होने की स्थिति में समिति द्वारा इन्हे आवेदक द्वारा अवैध उत्खनन किया जाना मानकर प्रकरण परीक्षण हेतु लिजा कार्यालय को प्रेषित किया जा रहा है। तत्संबंध में लेख है कि प्रायः गौण खनिज उत्खनन पट्टा पूर्व स्वीकृत खदान क्षेत्र के आसपास ही स्वीकृत किया जाता है जिससे आवेदित क्षेत्र के आसपास पुराने स्वीकृत खदानों से निर्मित गढ्ढे का होना स्वाभाविक है। पुराने उत्खनन से निर्मित गढ्ढों को वर्तमान पट्टाधारी आवेदकों द्वारा किया गया अवैध उत्खनन माना जाना उचित नहीं है। लीज क्षेत्र के बाहर अवैध उत्खनन के प्रकरणों में विभाग द्वारा निरंतर कार्यवाही की जाती है। तथापि प्रत्येक 6 माह में खनि निरीक्षक द्वारा भी कर निर्धारण के समय मौका जांच पर पट्टेदार द्वारा अवैध उत्खनन किया जाना पाये जाने पर गौण खनिज नियम, 2015 के नियम–71 के हत कार्यवाही की जाती है। यह एक सतत प्रकिया है जिस पर खनिज विभाग द्वारा गंभीरता से लगातार कार्यवाही की जाती है।

उक्त कारणों से रि–अप्रेजल के प्रकरण विगत 02 वर्षों से अधिक समय से लंबित होने के कारण प्रदेश में अधोसंरचनाओं के निर्माण हेतु आवश्यक गौण खनिजों की आपुर्ति प्रभावित हो रही है वही राज्य को प्राप्त होने वाले खनिज राजस्व पर भी विपरीत प्रभाव पड़ रहा है।

अतः अनुरोध है कि इस प्रकार के लंबित रि–अप्रेजल प्रकरण/पर्यावरण सम्मति हेतु प्रस्तुत नवीन प्रकरणों में पर्यावरण के बिंदुओं पर कम्प्लायंस कराते हुए पर्यावरण स्वीकृति जारी किये जाने हेतु उचित निर्णय लिया जावे।"

उक्त खदान का उत्खनिपट्टा दिनांक 06/02/2008 से 05/02/2038 तक हेतु निष्पादित किया गया है। अतः उत्खनिपट्टा वर्ष 2015 के पूर्व का है।

समिति द्वारा नोट किया गया कि कार्यालय वनमण्डलाधिकारी कांकेर वनमण्डल, जिला–कांकेर द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार आवेदित क्षेत्र से वन क्षेत्र की सीमा से 327 मीटर की दूरी पर है। माननीय एन.जी.टी. द्वारा प्रकरण ओ.ए. क्रमांक 142/2022 में दिनांक 08/08/2024 को पारित आदेश में निम्नानुसार निर्देश दिये गये है:–

"Though in the present case, it is a 'Reserve Forest' but in our view, the need of having a buffer area for reserve forest similar to that it was found necessary in respect of national parks and wildlife sanctuaries is equally relevant, important and necessary and therefore, the mere fact that the boundary of the mining lease area is outside the notified boundary of

reserved forest is not sufficient reason to allow mining activities. Such activities must be disallowed within buffer area which until provided otherwise by Competent Authority by issuing appropriate notification, we find shall be followed as 1 km from the actual boundary of the notified 'Reserve Forest'/'Protected Forest', as the case may be."

उपरोक्त के परिपालन में राज्य स्तर पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (एस. ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ द्वारा पत्र दिनांक 14/10/2024 के माध्यम से वन विभाग को आवश्यक कार्यवाही हेतु लेख किया गया था। माननीय एन.जी.टी. द्वारा उपरोक्त प्रकरण में पारित आदेश के 18 माह पश्चात् भी सक्षम प्राधिकारी द्वारा रिजर्व फॉरेस्ट/प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट की सीमा से माईन लीज सीमा के मध्य अनुमेय दूरी (Buffer distance) के संबंध में कोई भी अधिसूचना जारी नहीं की गई है।

अतः उपरोक्त के दृष्टिगत **समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से** परियोजना प्रस्तावक के री–अप्राईजल के आवेदन को निरस्त किये जाने की अनुशंसा की जाती है। परियोजना प्रस्तावक को माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रकरण सिविल अपील क्रमांक 3799–3800/2019 में पारित आदेश के परिपालन में जारी अंतरिम आदेश की वैधता, डी.ई.आई.ए.ए. द्वारा जारी पर्यावरणीय स्वीकृति में वर्णित सभी शर्तों का अनुपालन किये जाने रहते के अधीन माननीय उच्चतम न्यायालय के आगामी आदेश तक रहेगी।

सक्षम प्राधिकारी द्वारा रिजर्व फॉरेस्ट/प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट की सीमा से माईन लीज सीमा के मध्य अनुमेय दूरी (Buffer distance) के संबंध में अधिसूचना जारी किये जाने के उपरांत परियोजना प्रस्तावक द्वारा री–अप्राईजल हेतु पुनः आवेदन किया जा सकेगा।

राज्य स्तर पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ को तदानुसार सूचित किया जाए।

बैठक धन्यवाद ज्ञापन के साथ संपन्न हुई।

नाम एवं पदनाम	हस्ताक्षर
श्री जयसिंह म्हस्के, अध्यक्ष, एस.ई.ए.सी.–3 छत्तीसगढ़	
डॉ. विकास कुमार जैन, सदस्य, एस.ई.ए.सी.–3 छत्तीसगढ़	
श्री रमाशंकर मिश्रा, सदस्य, एस.ई.ए.सी.–3 छत्तीसगढ़	
डॉ. अजय विक्रम अहिरवार, सदस्य, एस.ई.ए.सी.–3 छत्तीसगढ़	
श्री समीर स्वरूप, सदस्य, एस.ई.ए.सी.–3 छत्तीसगढ़	
श्री राजू अगसीमनी, सदस्य सचिव, एस.ई.ए.सी.–3 छत्तीसगढ़	